14.10.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी या प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं हुये अतः प्रार्थी का यह प्रा० पत्र अदम पैरवी - बवजह हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(सुनीलकुमार-चौहान)
RAS.